

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

राज्यांश

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 10/07/2023

विषय:-

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-5 अंतर्गत गुमला जिला में मॉडल डिग्री कॉलेज, विशुनपुर, घाघरा, गुमला की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राज्यांश मद में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रू0 2,36,57,495/- (दो करोड़ छत्तीस लाख संतावन हजार चार सौ पंचानवे रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृतिदेश संख्या 90/बजट 04.07.2023 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-5 अंतर्गत गुमला जिला में मॉडल डिग्री कॉलेज, विशुनपुर, घाघरा, गुमला की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राज्यांश मद में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रू0 2,36,57,495/- (दो करोड़ छत्तीस लाख संतावन हजार चार सौ पंचानवे रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि का विकलन मांग संख्या 21 के अधीन निम्नानुसार की

जायेगी-

क्रमांक	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट उपबंधित राशि	आवंटित राशि
1	मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102- विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- उपयोजना-01- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203102790678)	26,35,00,000/-	1,83,34,559/-
2	मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उपयोजना-01- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203789790678)	5,10,00,000/-	35,48,624/-
3	मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उपयोजना-01- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796790678)	2,55,00,000/-	17,74,312/-
	कुल योग :-	34,00,00,000/-	2,36,57,495/-

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो निकासी के उपरान्त राशि को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बैंक अकाउन्ट संख्या- 491010110006155 में जमा करेंगे।

4. सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन RUSA के मार्गदर्शिका, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार एवं समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में किया जाएगा। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना निदेशक RUSA की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी होगी।

5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी PWD Code के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त ही उक्त राशि का नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

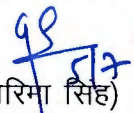
7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या 90/बजट 04.07.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

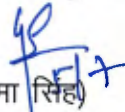
विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक- 1/यो.1-25/2016(उ0शि0) 98/955/दिनांक- 10/07/2023

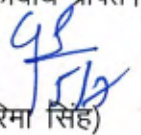
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक 1/यो.1-25/2016(उ0शि0) 98/955/दिनांक- 10/07/2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रुसा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO1-25/2016/98/BUDGET

दिनांक - 10-Jul-2023

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	41095	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	18,334,559.00 रुपये एक करोड़ तिरयासी लाख चौतीस हजार पाँच सौ उनसठ
	State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)			
2	S 21 22020378979010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	41098	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	3,548,624.00 रुपये पैतीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ चौदह
	State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)			
3	S 21 22020379679010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	41103	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	1,774,312.00 रुपये सत्रह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ बारह
	State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)			

योग:

रुपये दो करोड़ छत्तीस लाख सत्तावन हजार चार सौ पिनचानवे

23,657,495.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR